

12.04 hrs

Motion for election of two Members to the Rajghat Samadhi Committee

आवासन और शहरी कार्य मंत्री; तथा विद्युत मंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ :-

?कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
